



Neutral Citation No. - 2026:AHC:25071

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 2917/2025

राम अवध सिंह

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता : धीरेंद्र सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"I. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें उप संचालक चकबंदी, आजमगढ़ (प्रत्यर्थी संख्या 2) को यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 48 (1) के तहत दायर निगरानी/वाद संख्या 1015/2024 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या 202454156 00001015 (राम अवध बनाम चकबंदी अधिकारी, सदर प्रथम, जनपद: आजमगढ़) की सुनवाई सुनिश्चित करने और इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे तय करने का आदेश दिया जाए।

II. कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जैसा कि यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और ठीक समझे।

III. याची के पक्ष में रिट याचिका का खर्च प्रदान करें।"

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त वाद को शीघ्रता से तय करने का निर्देश जारी किया जाता है।
4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए यह न्यायालय रिट याचिका में वर्णित मामले के गुणों (मेरिट) पर कोई टिप्पणी किए

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बिना, उप संचालक चकबंदी, आजमगढ़ (प्रत्यर्थी संख्या 2) को एक तर्कसंगत और सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, कानून के अनुसार सख्ती से उक्त वाद को शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर तय करने के निर्देश के साथ, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है।

5. उपरोक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

2 फरवरी, 2026

नीतू

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"